न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज0

पीठासीन अधिकारी :— रामसिंह राजावत (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
53/2020	10.07.2020	18.01.2021

उनवान

1 डालचन्द पुत्र मातादीन
2 बृजमोहन पुत्र मातादीन
3 कीमतराम पुत्र मातादीन
4 नवीनदत पुत्र हरिदत
5 कमलकान्त पुत्र हरिदत
6 पष्पा देवी पत्नी हरिदत समस्त जाति ब्राहमन निवासी भूनगडा अहीर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7 हेमलता पुत्र हरिदत पत्नी अनूप कुमार जाति ब्राहमन निवासी भूनगडा अहीर हाल टाकडी तहसील बावल हरियाणा जरिये मु0 खास सुमेर सिंह पुत्र सोहनलाल जाति अहीर साकिन सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रार्थि

बनाम

1 तेजवीर दतक श्योलाल जाट साकिन जाट बहरोड
2 बलराम पुत्र रिसाल सिंह अहीर निवासी सानोली
3 विजयदेवी पत्नी बलराम अहीर निवासी सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधि0

उपस्थिति :— 1— श्री पूर्ण सिंह, प्रार्थी वकील
2— श्री दयाराम तवंर, वकील अप्रार्थी

....

—: निर्णय :—

दिनांक :— 18.01.2021

1. प्रार्थिया का सारतः प्रार्थना पत्र रहा कि :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 10:53:18 IST
Reason: SelfAttested

यह है कि प्रार्थीगन ने अपने 1/2 भाग सुषमाबाई का 1/20 भाग छो[illegible] क[illegible]की का सोदा सुमेर सिंह से कर चुकता रकम लेकर कब्[illegible] मु0 खास नियुक्त किया हुआ हे जो मोका पर काबि[illegible] अप्रार्थीगण क[illegible]वादित आराजी से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार वो संबं[illegible] कब्जा काश्त न तो था ना है वो गैर काबिज गेरवास्ता है अप्रार्थीगण 2, 3 ने अलग अलग शपथ पत्र [illegible]रार के द्वारा आराजी पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ,ही माना है स्वयं का कोई वास्ता नही होना माना है। अप्रार्थीगन लडाका वो मुठमर्द व्यक्ति है कि जो कानून कायदे की कतर्द परवाह नही करते है और जब्रन वो लाठी के बल पर कब्जा करना तामीरात करना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक हासिल नही है। अप्रार्थीगण ने दिनां क01.06.

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

2020 को जब्रन आराजी पर कब्जा करने का असफल प्राप्त किया झगडा किया और दिनांक 09.06.2020 को जब्रन ट्रैक्टर से आराजी को जात दिया जिसका मुकदमा भी थाना में व अदालत में पेश किया है और ए एस आइ साहब द्वारा अप्रार्थीगण्न को पाबन्द भी किया गया है मगर अप्रार्थीगन् अपनी बेजा हरकतो से बाज नही आ रहे है। प्रार्थी के द्वारा अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगन को जरिये हुक्मदम्तनाई व चन्दरोह पाबन्द किया जावे कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 288/0.08, 289/0.33, 293/0.57 किता 3 रकबा 0.98 का 1/2 भाग सुषमावाई का 1/20 भाग छोडकर वाके ग्राम भूनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर से प्रार्थीगण्प को बेदखल न करे, ना कब्जा करे, ना काश्त कार्य से रूकावट करे ना किसी भाग पर तामीरात करे, ना प्रार्थी की बोइ व कुदरती फसलो को बरबाद करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए समन तलब किया गया। बाद सूचना अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता दिनांक 11.11.2020 को जवाब पेश किया।

बहस सुनी गई।

प्रार्थी के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 26 नियम 9 व सपठित धारा 151 जा0 दी0 पर बहस सुनकर मनन किया गया। दौराने वकील वादी ने अपनी बहस में कहा की वाद के निस्तारण तक स्थगन आदेश को सम्पुठ कर दिया जावे। दौराने वकील प्रतिवादी ने कहा की प्रतिवादी सं0 1 के दादा भोलूराम द्वारा दिनांक 26.09.1972 को कम की थी कब्जा दे दिया है। भोलूराम ने बलराम के पूर्वक तबादला कर उसे दे दी व उनसे 831, 832 ले ली। इस पर बलराम के पूर्वक काबिज रहे है। भाई बंटवारे में बलराम के हिस्से में आयी है। बलराम मौके पर काबिज है। गैरखातेदारी से खातेदारी के लिए आवेदन विवस है। स्थगन आदेश खारीज किया जावे।

–: आदेश :–

न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को उपरोक्त विवेचन के आधार पर साबित पाए जाने पर आराजी खसरा नम्बर 288/0.08, 289/0.33, 293/0.57 वाके ग्राम भुनगडा ठेठर तहसील मुण्डावर में जारी स्थगन आदेश दिनांक 10.07.2020 को मूल वाद के निर्णय तक यथावत रखना उचित समझता है तथा अप्रार्थीगण को हु0ई0दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, बैय ना करें, ना कोई निर्माण कार्य करें, मौके की यथास्थिति बनाए रखें।

यह निर्णय आज दिनांक 18.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.02.16 10:53:18 IST
Reason: SelfAttested

18/1/21

(रामसिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0